निरंजन सिंह

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

14 जून, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और बी. पी. सिंह, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 - धारा 397 कब लागू होगी - अभिनर्धारित: कोई चोट जो जीवन को खतरे में डालती है वो एक गंभीर चोट है - गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास धारा 397 अंतर्गत मामलो के तथ्यों के आधार पर करता है - आरोपी ने शिकायतकर्ता की छाती पर निप्पल के ठीक नीचे चाकू से वार करके लूटपाट की- उस स्थान को ध्यान में रखते हुए जहाँ चोट लगी थी धारा 379 उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से लागू किया गया।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अपीलार्थी-एन और आर, ने बी से पैसे की मांग की। जब बी ने इनकार कर दिया, तो आर ने चाकू से उसके दाहिने हाथ में एक चोट लगाई और दूसरी चोट चाकू से छाती के बाईं ओर पहुंचाई और एन ने बी से पैसे छीन लिए। दो व्यक्तियों ने घटना को देखा। डॉक्टर ने चिकित्सा जांच की और पाया

कि दो चोटें कठोर और धारदार हथियार से लगी हैं। एन से चाकू बरामद किया गया था। अपीलाथियों को भा.द.स. की धारा 392 और 397 के तहत दोषी ठहराया गया था। याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की। याचिका में यह निवेदन किया गया कि धारा 397 के अंतगर्त आधार नही बन पाये क्योकि कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई थी। उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। अतः वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की गई है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित कियाः कोई भी चोट जो जीवन को खतरे में डालती है, एक गंभीर चोट है। यह शब्द " जीवन को खतरे में डालना" "जीवन के लिए खतरनाक" अभिव्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। इसके अलावा प्रावधान में गंभीर चोट पहुँचाने का "प्रयास" इसके आवेदन को आकर्षित करता है। यह सवाल कि क्या आरोपी ने मौत या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास किया, तथ्यात्मक परिदृश्य पर निर्भर करेगा। हस्तगत मामले में, निप्पल के ठीक नीचे छाती पर चाकू से प्रहार किया गया था। उस स्थान को ध्यान में रखते हुए जहाँ छाती पर चोट लगी थी, उच्च न्यायालय भा.द.स. की धारा 397 के लागू होने के बारे में अपने विचार में सही था। [अनुच्छेद 9] [1020-एच; 1021-क-ख]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 487

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में आपराधिक अपील सं. 513/1989 के दिनांक 06.04.2000 के अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न।

के साथ

आपराधिक अपील संख्या- 868/2002

अपीलार्थी की ओर से; नवीन शर्मा और बी. के. सतीगा।

प्रतिवादी की ओर से; गोविंद गोयल और सी. डी. सिंह।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया।

1. दोनों अपीलें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश, जबलपुर पीठ के सामान्य निर्णय के खिलाफ है। अपीलकर्ताओं द्वारा माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधी-3, सागर द्वारा धारा 392 तथा 397 भारतीय दंड संहिता (संक्षेप मे भा.दं.सं.) में दोषसिद्घी के विरूद्घ खारिज अपील को चुनौती दी। प्रत्येक अपीलार्थियों को 7 साल के कठोर कारावास और रुपये 500/- के जुर्माने की सजा सुनाई।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैंः 2 जून, 1986 को आरोपीगण बाबूलाल (पीडब्लू-1) की दुकान में घुस गए थे जब वह बंद करने की प्रक्रिया में था। एक शटर पहले ही लगा दिया गया था और एक शटर अभी लगाया जाना था। वे रात करीब 9.15 बजे दुकान में घुसे और मजरूब बाबूलाल से 1001/- रूपये की राशि मांगी और उससे पूछा कि उसने केवल दो इलाची क्यों दी थी, जबकि पिछले दिन तीन लोग दुकान पर आए थे। उस समय पर मजरूब बाबूलाल और उनके भाई मुन्नालाल (पीडब्लू 4) मौजूद थे और वे खाते का निपटान कर रहे थे। बाबूलाल के हाथों में 400/- रूपये थे। रामसहाय और निरंजन ने 1000/- रूपये सौंपने के लिए कहा। शिकायतकर्ता बाबूलाल के इनकार करने पर, रामसहाय ने चाकू से उसके दाहिने हाथ में एक चोट पहुंचाई। चाकू से छाती के बाईं ओर एक और चोट कारित की गयी। शिकायतकर्ता के हाथों में जो 400/- रूपये थे, उसे निरंजन सिंह ने छीन लिया। यह कथन किया कि आरोपी व्यक्तियों के साथ एक और लड़का था जिसके नाम की जानकारी नही थी। संतोष कुमार (पीडब्लू 3) और जिनेंद्र कुमार ने इस घटना को देखा था। घायल बाबूलाल को डॉ. आनंद सिंघई (पीडब्लू 7) के पास मेडीकल परिक्षण के लिए रैफर किया गया जिनके द्वारा दो चोटे पायी गयी। एक चोट "1x1/2" निप्पल के नीचे छाती के बाईं ओर पाई गई और दूसरी चोट ½ x ¼ बाईं बांह पर थी। दोनों चोटें कठोर और धारदार हथियार से कारित की

गई थीं। बाबूलाल के कपड़े जिन पर चाकू मारने के संकेत थे उनको जब्त कर लिया गया।

आरोपी निरंजन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त सीताराम को गाँव के सरपंच मुल्ले सिंह (पीडब्लू2) द्वारा पहचान परेड के लिए रखा गया था। पहचान परेड कथित तौर पर पेपर मिल के पास आयोजित की गई थी। कथित तौर पर लूटे गए पैसे को आरोपी से बरामद नहीं किया जा सका।

अभियुक्त ने अपराध को अस्वीकार किया। अभियुक्त सीताराम ने तर्क दिया कि उसे मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था। अभियुक्त निरंजन ने यह बचाव लिया कि वह मुन्नालाल की दुकान के सामने खड़ा था और अभियुक्त रामसहाय बाबूलाल से पैसे की मांग कर रहा था जो कि उसके बकाया थे। उस विवाद पर मुन्नालाल और रामसहाय के बीच हाथापाई हुई। आरोपी ने बीच-बचाव किया और दोनों को अलग कर दिया। जैसे ही आरोपी (निरंजन) ने रामसहाय का पक्ष लिया, उसका नाम भी अभियुक्त सूची में जोड लिया गया। रामसहाय ने यह निवेदन किया कि 1050/- रुपये बाबूलाल से लेने थे जो चारे की खरीद के लिए उसके चाचा को देने थे और जब पैसे की मांग की गई तो झगड़ा हो गया। लूट की कोई घटना नहीं हुई। उसके पास से चाकू बरामद नहीं हुआ।

3. चश्मदीद गवाहान पीडब्लू 1,4,5 और 6 के बयानो तथा विशेष रूप से मजरूबान बाबूलाल (पीडब्लू-1) और मुन्ना लाल (पीडब्लू-4) के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, निचली अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को दोषी पाया। उन्होंने पीडब्लू 3 संतोष के साक्ष्य पर भी भरोसा किया जिसने घटना को दूर से देखा था और मौके पर पहुंचने पर आरोपी व्यक्तियों को भागते हुए देखा था।

4. अपील में हालांकि कई बिंदुओं का आग्रह किया गया था, प्राथमिक रुख यह था कि भा.द.स. की धारा 397 के तहत सामग्री नहीं बनी थी क्योंकि कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई थी। अभियोजन पक्ष ने यह रुख अपनाया कि भा.द.स. की धारा 397 को लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि गंभीर चोट लगी हो। प्रावधान के अवयवों संतुष्ट है यदि अभिलेख पर साक्ष्य यह स्थापित करता है कि गंभीर चोट का इरादा था। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त की उपरोक्त याचिका को स्वीकार नहीं किया और अपील को खारिज कर दिया।

5. इन अपीलों में उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए तर्कों को दोहराया गया। यह तर्क दिया गया था कि भा.द.स. की धारा 397 को लागू करने के लिए गंभीर चोट हमले के परिणामस्वरूप होना आवश्यक है।

6 दूसरी ओर राज्य के विद्वान वकील ने विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय पर समर्थन किया।

7. अपराध की सामग्री इस प्रकार हैः

(1) लूट या डकैती का कमीशन जैसे धारा 392, 395 क्रमशः में बताया गया है;

(2) अभियुक्त-(क) द्वारा धातक हथियार का उपयोग किया, या

(ख) गंभीर चोट पहुँचाई, या

(ग) मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास किया।

(3) उसने लूट या डकैती के समय ऐसा किया था।

8. गंभीर चोट को भा.द.स. की धारा 320 में परिभाषित किया गया है। यह धारा निम्नलिखित प्रकार से पढी जाती हैः-

घोर उपहतिः उपहति की केवल नीचे लिखी किस्में "घोर" कहलाती है--

पहली- पुंसत्वहरण।

दूसरा- दोनो में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद।

तीसरा-दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद।

चौथा-किसी भी अंग या जोड का विच्छेद।

पाँचवाँ-किसी भी अंग या जोड की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास।

छठा-सिर या चेहरे को स्थायी रूप से विरूपित करना।

सातवां- अस्थि या दांत का भंग या विस्थापित करना।

आठवाँ-कोई उपहति जो जीवन को सकंटापन करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति बीस दिन तक अत्यधिक शारीरिक पीडा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है।

9. हस्तगत मामले के तथ्य बताते हैं कि भा दं सं० की धारा 397 को उक्त प्रकरण मे सही तरीके से लागू किया था। कोई भी चोट जो जीवन को खतरे में डालती है, एक गंभीर चोट है। यह देखा गया कि चोटों में से एक निप्पल के ठीक नीचे हुई थी। जीवन को खतरे में डालने वाला शब्द जीवन के लिए खतरनाक अभिव्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। इसके अलावा प्रावधान में गंभीर चोट पहुँचाने का प्रयास इसके लागू करने को आकर्षित करता है। यह सवाल कि क्या आरोपी ने हत्या का प्रयास या गंभीर चोट पहुचाने का प्रयास किया था। यह तथ्यात्मक परिदृश्य पर निर्भर करेगा। तत्काल मामले में निप्पल के ठीक नीचे छाती पर चाकू से प्रहार किया गया था। उस स्थान को ध्यान में रखते हुए जहाँ छाती पर हमला किया गया था, उच्च न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के लागू होने के बारे में अपने विचार में सही था।

10. याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

एन. जे.

याचिका खारिज की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी रोमा भाटिया (आर. जे. एस.) द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।